रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2017/श्रावण 3, 1939
No. 183] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2017/SRAVANA 3, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2017

विषय : निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच आरंभन अधिसूचना संख्या 7/5/2017-डीजीएडी, दिनांक 16.06.2017 के निष्प्रभावन के लिए जारी आदेश के संबंध में।

फा. सं. 7/5/2017-डीजीएडी.—1. चूंकि, भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के अनुसार चीन जन गण, यूरोपीय संघ, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, उक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडा ऐश" के आयातों के संबंध में एक निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच अधिसूचना संख्या 7/5/2017-डीजीएडी, दिनांक 16.06.2017 के अनुसार आरंभ की गई थी कि क्या संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर शुल्क की समाप्ति के कारण संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी रहेगा या उसकी पुनरावृत्ति होगी और घरेलू उद्योग को क्षति होगी तथा क्या प्रवृत्त निश्चित शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है।

2. चूंकि, ऊपर उल्लिखित निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) चीन जन गण, यूरोपीय संघ, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडा ऐश" के आयातों के संबंध में जारी मध्यवर्ती समीक्षा (एमटीआर) पाटनरोधी जांच के निष्कर्ष के अध्यधीन आरंभ की गई थी, जिसे 2016 के एससीए 16426 से 16429 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को वापिस भेज दिया गया है।

3. चूंकि, भारत बनाम मैसर्स कुम्होपैट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड [2014 की एसएलपी (सी) संख्या 29268 – 29269 से उत्पन्न 2017 की सिविल अपील संख्या 008309 – 008310] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए,जो धारित करता है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के पश्चात पाटनरोधी शुल्क का कोई भी एक वर्षीय विस्तार गैर कानूनी होगा, मध्यवर्ती समीक्षा का विचाराधीनता के दौरान एसएसआर जांच का आरंभन अनिवार्य था चूंकि ऊपर संदर्भित मध्यवर्ती समीक्षा जांच में अंतिम जांच परिणाम निष्कर्ष के प्रकाशन में अभी भी समय था और वर्तमान पाटनरोधी शुल्क शीघ्र ही अर्थात् 03.07.2017 को समाप्त होने वाला था, अतः मध्यवर्ती समीक्षा के निष्कर्षों के अध्यधीन निर्णायक समीक्षा आरंभ की गई।

4. चूंकि, संदर्भित मध्यवर्ती समीक्षा (एमटीआर) पाटनरोधी जांच में दिनांक 22.07.2017 को जारी अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी ने अब संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अधिसूचना संख्या 34/2012-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 3 जुलाई, 2012 के अनुसार लागू किए गए पाटनरोधी शुल्क के समापन की सिफारिश की है, जिसके द्वारा भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1ख) में निर्धारित निर्णायक समीक्षा के मूल आधार को ही हटा दिया गया है।

5. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निर्णायक समीक्षा को आरंभ करने के संबंध में जारी की गई अधिसूचना संख्या 7/5/2017-डीजीएडी, दिनांक 16.06.2017 को तत्काल प्रभाव से निरस्त/निष्प्रभावी किया जाता है।

डॉ. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2017

Sub. : Order issued for annulment of Sunset review Anti-Dumping Initiation Notification No. 7/5/2017-DGAD, dated 16.6.2017—reg.

F. No. 7/5/2017-DGAD.—1. Whereas, a Sunset review anti-dumping investigation concerning imports of 'Soda Ash', originating in or exported from China PR, European Union, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA was initiated vide Notification No. 7/5/2017-DGAD, dated 16.6.2017 in terms of Rule 23 of Indian Anti-Dumping Rules to review whether cessation of duty on imports of subject goods originating in or exported from subject countries shall lead to continuation or recurrence of dumping of the subject goods and injury to the domestic industry and the need for continuation of definitive duty in force.

2. Whereas the abovementioned Sunset Review (SSR) was initiated subject to the outcome of the ongoing Mid-Term Review (MTR) Anti-dumping investigation concerning imports of 'Soda Ash', originating in or exported from China PR, European Union, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA, which was remanded back to the Designated Authority vide orders of Hon'ble High Court of Gujarat in SCA 16426 to 16429 of 2016.

3. Whereas, the initiation of the SSR investigation during the pendency of the Mid-Term Review was necessitated in view of the order of the Supreme Court in the matter of Union of India vs M/s Kumho Petrochemicals Company Limited (Civil Appeal Nos. 008309-008310 of 2017 arising out of SLP (C) Nos. 29268 -29269 of 2014) holding that any one-year extension of antidumping duty after the expiry of existing antidumping duty would be illegal. Since there was still time for issuance of final findings in the above-referred mid-term review investigation and the existing anti-dumping duty was to lapse shortly i.e. on 3.7.2017. The Sunset Review was initiated subject to the outcome of the Mid-Term Review.

4. Whereas the Authority in Final Findings issued on 22.07.2017 in the referred Mid-Term Review (MTR) Anti-dumping investigation has now recommended discontinuation of anti-dumping duty imposed vide Notification No. 34/2012- Customs (ADD), dated 3rd July, 2012 on import of subject goods from the subject countries, thereby removing the very basis of Sunset Review stipulated in Rule 23(1B) of Indian Anti-Dumping Rules.

5. In view of above, the Notification No. 7/5/2017-DGAD, dated 16.6.2017, issued regarding the initiation of Sunset Review is rescinded/ annulled with immediate effect.

Dr. INDER JIT SINGH, Addl Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.07.26 12:10:31 +05'30'